पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

फैक्स/ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक

विषयः- ***पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट कलस्टर संख्या-12 (पटना सोन बालूघाट-15) का संचालन के लिए सोन नदी पर अवस्थित सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0-25) को एक तरफ से दूसरे तरफ रास्ता बनाने एवं आर-पार करने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में ।***

प्रसंगः- ***आपका पत्रांक-4129 दिनांक-23.10.2026***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिक्षेत्राधीन सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट कलस्टर संख्या-12 (पटना सोन बालूघाट-15) के संचालन के लिए सोन नदी पर अवस्थित सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0-25) को एक तरफ से दूसरे तरफ रास्ता बनाने एवं आर-पार करने हेतु वस्तुस्थिति की समीक्षोपरान्त स्थल की स्थिति के अनुरूप निम्नांकित शर्तो के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे कि नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/संरचनाओं/ Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.05.2027 तक के लिए) निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को प्राधिकृत किया जाता है:-

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो ।
2. सोन नदी के दॉये किनारे से नदी भाग में ई0सी0 एरिया में बनने वाले मिट्टी के बांध की ऊचॉई 01 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक 30 मीटर के उपरांत 01 मीटर व्यास एवं 03 मीटर लंबा ह्यूम पाईप लगाया जाना आवश्यक होगा ।
3. सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0-25) को आर-पार करने के लिए बनाये गए मिट्टी के पथ में प्रत्येक 01 कि0मी0 पर ह्यूम पाइप लगाना अनिवार्य होगा । साथ ही ह्यूम पाइप के उपर कम से कम 01 मी0 की ऊॅचाई में मिट्टी की भराई किया जाना आवश्यक होगा। इस पथ पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू पर नियंत्रण रखा जा सके ।
4. सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0-25) के दोनों ओर बैरियर लगाना आवश्यक है, जिसका खर्च संबंधित विभाग को वहन करना होगा । यह बैरियर विभागीय माप दंड क अनुरूप होगा।
5. वाहन तटबंध के लंबवत आर-पार करेंगे । निर्दिष्ट बिंदू को छोड़कर तटबंध पर किसी भी हालत में बालू परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का परिचालन मान्य नहीं होगा ।
6. सैदाबाद-मनेर तटबंध के कि0मी0 7.62 (वि0दू0-25) को वाहनों के आर-पार करने से उत्पन्न क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति का खर्च संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।
7. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ।
8. सड़क निर्माण एवं इस पर परिचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी । इस पर किसी भी तरह की क्षति की जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी ।
9. अस्थाई संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कियां जायेगा एवं इसे अविरल रखा जाय ।

10. कार्य के समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष समाग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
11. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50M) से अधिक गहरे तक नहीं किया जाय तथा NSL एवं किनारों को किसी भी हाल में Disturb नहीं किया जाय ।
12. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
13. विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी समय बिना कारण बताए, विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
14. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से सम्पोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
15. बाढ़ अवधि के पूर्व संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
16. नदी तट किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा ।
17. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
18. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबुती की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
19. संबंधित विभाग द्वारा इस अस्थायी संरचना के दोनों ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि ''अस्थायी संरचना आम लोगों के लिए वर्जित है।''
20. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
21. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
22. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थाई निर्माण को संबंधित विभाग को अपने व्यय पर हटाना होगा ।
23. संरचना निर्माण के दौरान नदी में बनी संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति न हो । क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
24. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
25. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
26. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2027 तक प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II- 4091 पटना/ दिनांक- 05/11/2026
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

05/11/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

En-in-ch., Patna new